कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र स0: प-1785/एफएस-12 दिनांक:जुलाई,02,2018

सेवा में,

मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इंफास्ट्रक्चर लि0
द्वितीय तल,शॉपिंग स्क्वायर सेक्टर-डी,
सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड ,
लखनऊ।

विषयः- मेसर्स अंसल ए0पी0आई0लि0 द्वारा सेक्टर-सी, पाकेट-07, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन जी0एच0-01 का संशोधित प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृप्या अपने पत्र दिनांकः 26.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक भवन मानचित्र का एन0बी0सी0 तथा भवन निर्माण एँव विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन अधिकारी,पी0जी0आई0 द्वारा कराया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आये है:-

भवन की संरचनाः- कुल भूखण्ड एरिया 32782.110 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है।

क्रम स0	विवरण	पूर्व में	वर्तमान में
01	प्रश्नगत भवन का ग्राउण्ड कवरेज	5430.103 वर्गमीटर	6012.320 वर्गमीटर
02	प्रश्नगत भवन का कुल फ्लोर का कर्वड एरिया	81955.268 वर्गमीटर	81953.010 वर्गमीटर
03	प्रश्नगत भवन के बेसमेंन्ट का कुल कर्वड एरिया	23674.750 वर्गमीटर	23104.55 वर्गमीटर
04	प्रश्नगत भवनों की अधिकतम् ऊंचाई	48.550 मीटर	44.700 मीटर

भवन का अधिभोग एवॅ हेजार्ड श्रेणीः-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढ़ाचागत व्यवस्थाः-

1- प्रवेश द्वार की चौडाईः- प्रश्नगत भवन परिसर में कुल 04 गेट प्रस्तावित है जिसकी चौडाई 06-06 मीटरमानचित्र में प्रदर्शित है।

2- पहुॅच मार्गः- प्रश्नगत भवन तक पहुॅच मार्ग की चौडाई 24 मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है।

3- सेटबैकः- प्रस्तावित भवन का अधिकतम् सेट बैक निम्नवत् है-

साइड	पूर्व में	वर्तमान में
अग्रभाग	16 मीटर	13 मीटर
पृष्ठभाग	16 मीटर	14 मीटर
पार्श्व भाग प्रथम	16 मीटर	13 मीटर
पार्श्व भाग द्वितीय	16 मीटर	13 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार हैं सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण (स्थाई/ अस्थाई) निर्माण पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट का जो भाग भवन के प्रोजेक्शन से बाहर है उसके स्लैब का भार वहन क्षमता 45 टन रखा जाना आवश्यक होगा।

4- निकास मार्गः- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयर केस प्रत्येक 1.5 मीटर चौडाई की प्राविधानित किया गया है, जिसकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम् अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।

5- रिफ्यूज एरिया का विवरण- प्रश्नगत भवन में बालकनी प्राविधानित है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थायेंः- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें प्रस्तावित की जाती है।

1- भूमिगत टैंक :- प्रस्तावित भवन परिसर में 150 के.एल. पानी का भूमिगत टैंक मानचित्र में प्रदर्शित है।

2- पम्प :- प्रश्नगत भवन परिसर के भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प 2850 लीटर प्रति मिनट क्षमता का 02 विद्युत चालित पम्प, व समकक्ष क्षमता का एक प्रश्नगत भवन डीजल चालित पम्प व 180 लीटर प्रति मिनट क्षमता का जॉकी पम्प का संयोजन वेटराइजर व भूमिगत टैंक से किया किया जाना प्रविधानित है।

3- होजरील सिस्टमः- प्रश्नगत भवनो में होजरील लैण्डिंग वालव आई0एस0-3844 मानको कें अनुसार लगाया जाना प्रविधानित है।

4- वेटराइजर सिस्टमः-प्रश्नगत भवनों में वेटराइजर सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना प्रविधानित है।

5- हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनि पद्धतिः- भवनो में हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी का प्राविधान पद्धति एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

6- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबीनेट एंव डिलेवरी होज पाइप मय ब्रान्च पाइप मथा फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना प्रविधानित है।

7- स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम- प्रश्नगत भवनो के बेसमेन्ट सहित समस्त तलो में स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है। स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरेस व भूमिगत टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टसन एन0बी0सी0-2005,पार्ट-04 के प्रस्तर सी-1.8 में उल्लिखित मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

8- टेरेस टैंकः- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर अग्निशमन कार्य हेतु 10-10 के.एल. पानी के क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में अंकित है।

9- प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः-प्रस्तावित भवनों में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आईएसः 2190-2010 के अनुसार प्रविधानित है

10- स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम-

एO- फायर चेक डोर, स्मोक चेक डोरकी लोकेशन व रेटिंग 2 एच रखा जाना प्राविधानित है।

बी0 - प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम एन0बी0सी0-2005, पार्ट-04 के प्रस्तर सी-1. 6.4 से सी-1. 6.5 में उल्लिखित मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

11- पी0ए0 सिस्टम- भवनों में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था मानक के अनुसार किया जाना प्रविधानित है।

12- एक्जिट साइनेजः- सम्पूर्ण भवनो में एक्जिट साइनेज मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13- प्रश्नगत भवनों में इमरजेन्सी/एस्केप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005,में उल्लिखित मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

14- लिफ्टः- प्रश्नगत भवनों में लिफ्ट का प्रविधान एन0बी0सी0-2005,पार्ट-04 के प्रस्तर सी-1.5 (बिन्दु ए से क्यू तक व क्यू के बिन्दु 01 से 08 तक) के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

15- भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0-2005,पार्ट-04 के प्रस्तर सी-05,सी-07, सी-08, सी-09 उल्लिखित मानको के अनुसार पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

16- भवन में एन0बी0सी0-2005,पार्ट-04 के प्रस्तर सी-1.15 के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटर सेट) स्थापित कर उससे भवन की अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों, स्टैण्ड बाई फायर पम्प तथा स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम को पृथक लाइन(वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए से जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तारनुसार मेसर्स अंसल ए0पी0आई0लि0 द्वारा सेक्टर-सी, पाकेट-07, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन जी0एच0-01 के निर्माण हेतु संशोधित प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफॅ इण्डिया-2005,पार्ट-4, में उल्लेखित मानको व आई0एस0 3844-1989 एंव नवीनतम् संशोधन के अनुसार कराये जायेगे, भवन निर्माण के दौरान यदि एन0बी0सी0-2005,पार्ट-04 के प्राविधानों में कोई संशोधन होता है जो कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण है तो उसको समाहित किया जाना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भैतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

02.07.2018

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः- 1- अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 लखनऊ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- अधिशासी अभियन्ता(हा0/इंटी0सेल)लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।